



## म.प्र. शासन

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1 / 2012

भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी नरेगा  
जिला समस्त (म.प्र)

**विषय:- महात्मा गांधी नरेगा, अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" निर्माण हेतु दिशा-निर्देश।**

ग्रामों के सर्वांगीण विकास की कल्पना बिना ग्राम पंचायतों के सक्रिय योगदान से नहीं की जा सकती है। प्रदेश में 23012 ग्राम पंचायतें गठित हैं। जिनमें जनता से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर ग्रामीण विकास का दायित्व है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के सुदृढीकरण किये जाने हेतु लगातार प्रयास किये गए हैं। फिर भी कुछ ग्राम पंचायतों में सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 के पैरा-1 के उप-पैरा (ix) अनुसार योजनांतर्गत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र को निर्मित किए जाने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना S.O. 2877 9(E) दिनांक 11.11.2009 को जारी की गई है। इस संबंध में सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. J-11013/2/2009-NREG (Pt.) दि. 30-12-09 जारी किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण के संबंध में गाईडलाइन भी जारी की गई है। जिसमें उक्त केन्द्र की ड्राइंग डिजाइन व नक्शा भी उपलब्ध कराया गया है। राज्य शासन द्वारा ग्रामीणजनों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने एवं उनकी आयु का सुदृढीकरण हेतु लागू महात्मा गांधी नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" (जिसे आगे पंचायत भवन कहा जावेगा) निर्मित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्राइंग डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य की ग्रामीण विकास विभाग के एस.ओ.आर. के आधार पर प्राक्कलित लागत औसतन राशि रु 13 लाख है जो कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रु 12.50 लाख से 14 लाख तक परिवर्तित हो सकती है। पंचायत भवन में ई-पंचायत हेतु भी एक कक्ष उपलब्ध रहेगा। कार्य की अनुमानित लागत में अकुशल मजदूरी सामग्री अनुपात 15:85 आंकलित है। भारत सरकार द्वारा इन पंचायत भवनों निर्माण करने की अनुमति देते हुए मजदूरी सामग्री अनुपात जिला स्तर पर 60:40 संधारित किया जाना सुनिश्चित करने का उल्लेख किया है।

2. उद्देश्य : गाईडलाईन अनुसार भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के उद्देश्य से ली जाने वाली गतिविधियाँ निम्नानुसार है :-

2.1 ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय के संचालन हेतु जगह उपलब्ध कराना।

2.2 ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में निम्न सुविधा उपलब्ध कराना -

- i. नागरिकों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारियां प्राप्त करना।
- ii. अभिसरण के प्रभावी माध्यम के द्वारा स्थायी एवं उत्पाद मूलक ग्रामीण परिसंपत्तियों में वृद्धि करने, तकनीकों का प्रसार एवं अच्छी कार्यप्रणाली को बढ़ाए जाने हेतु जगह उपलब्ध कराना।
- iii. ग्राम पंचायत आम जन को विकास प्रक्रियाओं हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ICT आदि सुविधाओं का परिचालन व सूचना, ऑन लाईन जानकारी उपलब्ध कराया जाना।

3. गतिविधियां : भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में निम्न गतिविधियाँ ली जावेगी :-

3.1 नागरिकों को NREGA के अधिकारों के अध्ययन हेतु जगह उपलब्ध कराना, विशेष रूप से :-

- i. जाब कार्ड हेतु आवेदन पत्र जमा करना।
- ii. कार्य हेतु आवेदन पत्र जमा करना।
- iii. मस्टर रोल का परीक्षण करना।
- iv. शिकायत
- v. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त होने वाले अधिकार व पात्रता के परीक्षण हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना।

3.2 भवन का एक हिस्सा महात्मा गांधी नरेगा योजना के मजदूरों एवं स्थानीय समुदायों के आपसी विचार विमर्श एवं मेलजोल हेतु आरक्षित होगा।

3.3 ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए एक समर्पित कार्यालय स्थापित किए जाने हेतु जगह उपलब्ध कराना। ग्राम पंचायत स्तर पर जिन स्थानों पर ग्राम पंचायत कार्यालय भवन नहीं है, वहां पर एक हिस्सा ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए होगा। जिन स्थानों पर ग्राम पंचायत की पर्याप्त अधोसंरचना है, वहां भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण नागरिक केंद्रित ज्ञान अर्जन के रूप में पंचायत भवन से मिलाकर अथवा नजदीक में किया जावे जिससे महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत बनने वाले संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर भवन का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जायेगा :-

- i. योजना से जुड़े हुए समर्पित कार्यकारी स्टाफ हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना।
- ii. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा आयोजित करना, सभायें व बैठक आयोजित करना।
- iii. एम.आई.एस हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी की सहायता लेना।

- iv. कार्यालयीन दस्तावेजों का संधारण
- v. शिकायत निवारण
- vi. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण।
- vii. प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।
- viii. एम.आई.एस का परिचालन।
- ix. महात्मा गांधी NREGA तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी एक ही स्थान पर जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो।

#### 3.4 ज्ञान संसाधन केन्द्र :

- i. ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी NREGA का ग्रामीण विकास विभाग की तथा अन्य विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण।
- ii. पिछड़े तथा अग्रस्थ के बीच बेहतर संपर्क जिससे अधिक स्थायी तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण संभव हो सके।
- iii. अभिसरण के उद्देश्य से अन्य संबंधित योजनाओं विषयक ज्ञान, जागरूकता तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा सहभाजन।
- iv. प्रसार तथा नई तकनीक का उपयोग।
- v. क्षमता निर्माण तथा कौशल उन्नयन।

**4. डिजाइन व मार्गदर्शी प्राक्कलन :** भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की डिजाईन राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई है, स्थानीय आवश्यकतानुसार इस डिजाइन में छोटा-मोटा परिवर्तन कर संशोधित डिजाइन सन्तुलन की जा रही है। इस कार्य का प्राक्कलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला एस.ओ.आर. पर तैयार किया जावे। मौटे तौर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का ढाँचा निम्नानुसार होगा :

ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित होने वाले पंचायत भवन में 50 लोगों की क्षमता वाला एक बैठक कक्ष, एक कक्ष जो ग्राम पंचायत की कार्यालयीन जरूरतों को पूरा करता हो तथा नागरिकों एवं आई.सी.टी. सेवाओं हेतु एक अन्य कक्ष। टॉयलेट भवन के बाहर की ओर होगा। इसके कुछ कदम पर जन कार्यक्रमों, आई.ई.सी., बडी सभाओं हेतु खुला रंगमंच भी प्रस्तावित है। मौटे तौर पर ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का कवर एरिया 130 स्कवायर मीटर (टॉयलेट सहित) होगा तथा महात्मा गांधी NREGA बजट से इसकी लागत अधिकतम रु 10 लाख होने का लेख भारत सरकार के निर्देशों में किया गया है। यद्यपि ग्रामीण विकास विभाग के एस.ओ.आर. में वर्तमान प्रचलित दरों पर पंचायत भवन निर्माण की लागत औसतन रु 13 लाख प्राक्कलित की गई है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पृथक से अवगत कराया जा रहा है।

**5. कार्यक्षेत्र :** भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) का निर्माण प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा सकेगा। प्रथम चरण में भवन विहीन ग्राम पंचायतों में इनका निर्माण किया जावे। द्वितीय चरण में जिन ग्राम पंचायतों में पुराने भवन असुरक्षित होने के कारण अनुपयोगी हो गये हैं, उनमें इनका निर्माण किया जावेगा।

6. **क्रियान्वयन एजेन्सी** : पंचायत भवन निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जा सकेगा। क्रियान्वयन एजेन्सी का पेनल बनाया जावे, ताकि किन्हीं कारणों से एजेन्सी परिवर्तित करने की आवश्यकता होने पर कार्य प्रभावित न हो।

7. **कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया** : योजना के तहत पंचायत भवनों के निर्माण के कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया

- a) पंचायत भवनों के निर्माण के कार्यों का मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अर्थात् ग्रामसभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से अनुमोदित होकर शेल्व आफ प्रोजेक्ट में शामिल होना सुनिश्चित किया जावे। तदोपरांत कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य-योजना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत शामिल किया जावे।
- b) पंचायत भवनों के निर्माण के कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला दर अनुसूची के आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के आधार पर तैयार किये जावें। मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि स्ट्रेटा को दृष्टिगत रखते हुये पाइल फाउंडेशन में, ओपन फाउंडेशन एवं आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन में पंचायत भवन निर्माण हेतु मार्गदर्शी प्राक्कलन तैयार किए गए हैं, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- c) निर्माण कार्य अभिसरण के तहत संपादन कराये जाने की स्थिति में स्थल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किये गये प्राक्कलन की लागत में से मनरेगा के अंश की राशि प्राक्कलन का भाग-1 मानी जावेगी। अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध होने वाली शेष राशि प्राक्कलन का भाग-2 मानी जावेगी। तकनीकी प्रतिवेदन में फाउंडेशन का प्रकार व फाउंडेशन चयन का कारण लिखा जावे। तकनीकी स्वीकृति में कार्य के नाम के साथ फाउंडेशन के प्रकार का उल्लेख किया जावे। कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।
- d) कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी को कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कार्य अभिसरण के तहत संपादित कराये जाने की स्थिति में अभिसरण मद की राशि पृथक से जारी की जावे।
- e) सम्पूर्ण प्राक्कलन अनुसार धनराशि की सुनिश्चित व्यवस्था पूर्ण किए बिना प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। इसमें अभिसरण की धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति दोनों होना अनिवार्य है।

8. **वित्तीय व्यवस्था** : "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन)" के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. व अन्य योजनाओं जिनमें यह कार्य अनुमत हो, के अभिसरण से की जा सकेगी।

8.1 जिन जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिला स्तर पर पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण की स्थिति है, उन जिलों में इन भवनों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत मनरेगा की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

8.2 जिन जिलों में बी.आर.जी.एफ. योजना लागू है, मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. के अभिसरण से इन निर्माण कार्यों का संपादन इस प्रकार किया जा सकता है कि सामग्री मद का समस्त व्यय बी.आर.जी.एफ. योजना से हो तथा अकुशल श्रम का समस्त व्यय एमजीएनआरईजीएस से हो। यदि बी.आर.जी.एफ. से पर्याप्त वित्त पोषण संभव न हो तब भवन का उतना कार्य (सामग्री एवं मजदूरी मिलाकर) एनआरईजीएस से सम्पन्न करावाया जावे जिसमें 60:40 मजदूरी एवं सामग्री अनुपात रहे एवं शेष कार्य बी.आर.जी.एफ. से सम्पन्न करावाया जावे। प्रदेश के 50 जिलों में से 29 जिलों में बी.आर.जी.एफ. योजना लागू है। प्रदेश के 10 आईएपी जिलों में से मात्र छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर शेष 9 जिलों में बी.आर.जी.एफ. योजना लागू है।

8.3 गैर बी.आर.जी.एफ. वाले 21 जिलों में पंचायत भवन का निर्माण सांसद/विधायक निधि की राशि अथवा अन्य अनुमत राशि के अभिसरण से या जिला स्तर पर 60:40 अनुपात संधारित करते हुए महात्मा गांधी नरेगा की राशि से पंचायत भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

## 9. लेखा संधारण :

9.1 कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय वित्तीय संहिता एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए किया जाकर भुगतान उपरांत देयकों को कार्य की नस्ती में संधारित किया जावे।

9.2 कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने पर लेखा, पंचायत एक्ट के नियमों के तहत संधारित किये जायेंगे। अभिसरण के तहत कार्य का संपादन किये जाने पर प्रत्येक योजना के आय व्यय के अलग-अलग लेजर संधारित किये जायेंगे। लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

9.3 कार्य की एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होने पर लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

9.4 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावे।

9.5 क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

उक्त में से किसी भी विकल्प के आधार पर इन भवनों का निर्माण किये जाने पर जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

## 10. मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :

- कार्यों का मूल्यांकन संबंधित सेक्टर के उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जावेगा।
- कार्य का मूल्यांकन एवं जाबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में की समय सीमा में बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावे।
- मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टर रोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे।

- d) नींव की खुदाई के बाद, कार्य की प्लन्थ (Plinth) के उपयंत्रों द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन किये जाने के बाद सहायक यंत्रों द्वारा मूल्यांकन सत्यापन एवं आगे की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के पश्चात् ही आगे का कार्य प्रारंभ किया जावे।
- e) आर.सी.सी के कार्य संपादन के पूर्व सहायक यंत्रों द्वारा लोहे की बंधाई कार्य अनिवार्य रूप से चेक किया जावे एवं सीमेन्ट कांकीट ढलाई के समय उपयंत्रों के अतिरिक्त स्वयं भी स्थल पर अनिवार्यतः उपस्थित रहे।

11. योजना एवं कियान्वयन में महात्मा गांधी NREGA की प्रक्रिया का अनुपालन : भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण में महात्मा गांधी NREGA की राशि का उपयोग होना है, अतः इसमें योजना की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। इसका निर्माण योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवारों के माध्यम से कराया जाएगा तथा मशीनों व टेकेदारों का उपयोग नहीं किया जावेगा। स्थल पर जांच हेतु मस्टर रोल संधारित किये जावेंगे। रोजगार सृजन का पूर्ण रिकार्ड रखा जावेगा। सामग्री का क्रय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा तथा इसकी एम.आई.एस एन्ट्री भी की जावेगी। मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर 60:40 सुनिश्चित किया जावेगा।

## 12. निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानीटरिंग :

- a) कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जावे।
- b) सीमेन्ट कांकीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS-516 के अनुसार सीमेन्ट कांकीट के कार्य के दिन 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।
- c) IS-1199 के अनुसार सीमेन्ट कांकीट की Workability हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेन्ट कांकीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।
- d) सामग्री परीक्षण हेतु मनरेगा अंतर्गत जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला की स्थापना अधिकांश जिलों में की जा चुकी है। जिन जिलों में क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुई है, उनमें सामग्री परीक्षण मनरेगा की प्रयोगशाला स्थापना होने तक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में किये जावें।
- e) कालम एवं नींव की सीमेन्ट कांकीट ढलाई के समय Needle Vibrator व छत की ढलाई के समय Plate Vibrator से काम्पेक्शन सुनिश्चित किया जावे।
- f) पंचायत भवन की छत की ढलाई के दौरान सहायक यंत्रों अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर कार्य सम्पन्न करावेंगे। छत की ढलाई के समय उपयुक्त स्लोप का ध्यान रखा जावे ताकि किसी भी स्थिति छत में पानी का जमाव न हो। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्रों द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावेगी।
- g) भवन के बाह्य दरवाजे व खिड़कियों के छज्जा के स्लोप एवं ड्रिप कोर्स का ध्यान रखा जावे। ताकि वर्षा के पानी का जमाव न हो सके।
- h) कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

*Handwritten signature*

- i) जिला स्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा पंचायत भवन के 10 % कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय क्वालिटी मानीटर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
- j) विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि-7/ग्रा.यां.से./06 दि. 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकाल कराया जावे।
- k) अभिसरण के तहत निर्मित किये जाने वाले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी क्रमशः पं.भ. प्रपत्र-1 एवं पं.भ. प्रपत्र-2 में तैयार कर मासिक जानकारी आगामी माह की 05 तारीख तक मुख्य अभियंता म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को उपलब्ध कराई जावे। जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें।

  
(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव  
म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
भोपाल, दिनांक 22/09/2012

9097

पृ. क्र. / /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
  2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
  3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
  4. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
  5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
  6. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
  7. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश।
  8. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश।
  9. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावे।
- 
10. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
  11. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
  12. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

  
अपर मुख्य सचिव

म.प्र. शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग







# Abstract

Particulars	Total	Labour Component	Unskilled Labour Component	NREGS Component
<b>Building with Pile Foundation</b>				
) Cost upto plinth	200675	60095	46534	
) Cost of main building	501013	165584	110855	
) Cost of Toilet	204835	42383	30537	
) Cost of Open air Theater	148379	49739	40060	
) Transportation of Material	119200			
) Other Cost( 9% Internal Electrification+6% Internal W.S. & sanitary fitting =15%)	135978			
) Contingencies (3%)	39302		6840	
<b>Grand Total</b>	<b>1349383</b>	<b>317801</b>	<b>234825</b>	<b>391375</b>
<b>Building with Open Foundation</b>				
) Cost upto plinth	264272	74371	28467	
) Cost of main building	501013	165584	110855	
) Cost of Toilet	198460	42385	29926	
) Cost of Open air Theater	148379	49739	40060	
) Transportation of Material	110596			
) Other Cos.( 9% Internal Electrification+6% Internal W.S. & sanitary fitting =15%)	144562			
) Contingencies (3%)	41018		6279	
<b>Grand Total</b>	<b>1408300</b>	<b>332079</b>	<b>215586</b>	<b>359310</b>
<b>Building with Isolated Footing</b>				
Cost upto plinth	152049	30277	22720	
Cost of main building	501013	165584	110855	
Cost of Toilet	181351	33083	21753	
Cost of Open air Theater	148379	49739	40060	
Transportation of Material	109269			
Other Cost( 9% Internal Electrification+6% Internal W.S. & sanitary fitting =15%)	125162			
Contingencies (3%)	36517		5862	
<b>Grand Total</b>	<b>1253740</b>	<b>278682</b>	<b>201249</b>	<b>335415</b>

Anticipated increase in rate has added in individual items

# ग्राम पंचायतों के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र



प्लान

खुला मंच

15.00

4.50




खुला मंच

16.40


17.80

ग्राम पंचायती के लिए  
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

FRONT ELEVATION



### DRAWING OF BHARAT NIRMAM RAJIV GANDHI SEVA KENDRA (FOR GRAM PANCHAYAT)



SECTION OF SEPTIS  
(OPEN AIR THEATER)